

पत्र सं०-३/सी०-७१/२००५-का० 367
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषित,

राजेंद्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमुखस्थानीय अधिकारी
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- अनुक्रमारम्भक नियुक्ति का दोबारा लागू देते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं करने के संबंध में । पटना-15, दिनांक- 11-2-06

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि सेवाकाल में भूत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग-3 ए 4 के पदों पर अनुक्रमारम्भक के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ज्ञापन संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 की कंडिका 9 (क) में प्रावधान है कि अनुक्रमारम्भक के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुक्रमारम्भक का दोबारा लागू देते हुए उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन सख्ती से करते हुए अनुक्रमारम्भक नियुक्ति में संवर्ग परिवर्तन की अनुशंसा नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

11/2/06

(राजेंद्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव